U.P. Electricity Regulatory Commission

2nd Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 Phone 2720426 Fax 2720423

E-mail: secretary@uperc.org, Website: www.uperc.org

Ref: UPERC/Secy./D(L)/Advt/2010-1639 Lucknow: Dated: 16.02.2010

Public Notice

Pursuant to general Public Notice, published in all Uttar Pradesh editions of Times of India (dated 14.1.10), Hindustan Times (dated 14.1.10), Dainik Jagran (dated 13.1.10) & Amar Ujala (dated13.1.10), which was also uploaded on the Commission's website www.uperc.org, UP Electricity Regulatory Commission conducted its hearing on scheduled date on 5th February, 2010. After detailed deliberations in the hearing, the Commission finally disposes all pending cases with decision as follows -

1. All cases related to consumer disputes, covered under the jurisdiction of authorities as provided in sections 42(5), 42(6), 126, 127 and 153 & 154 of Electricity Act, 2003 respectively and pending in the Commission, are finally disposed of and closed with effect from date of publication of this order / notice subject to the condition that the individual consumers will be free to file their grievances for redressal before appropriate forum as provided under the Electricity Act, 2003.
2. The complainant / petitioner may file their complaint before appropriate forum within 6 weeks of publication of this notice and the appropriate forum will decide the grievance expeditiously and will pass final orders within 6 months thereafter.
3. If the complainant files its petition before appropriate forum within 6 weeks of this notice, the interim orders, if any, passed by the Commission shall continue until the relevant case is finally decided by such appropriate forum.
4. Limitation, if any, shall be governed by section 14 of Limitation Act, 1963, and the same shall commence from the date of publication of this notice.

Secretary

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

द्वितीय तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड , गोमती नगर, लखनऊ,
फोन 0522–2720426, 2720427, फैक्स 0522–2720423,
ई–मेंल secretary@uperc.org, वेबसाइटः www.uperc.org

संख्या / यूपीईआरसी / सचिव / डी(एल) / प्रका0 / 2010–1639 लखनऊ, दिनॉकः 16.2.2010

सार्वजनिक सूचना

''टाइम्स आफ इण्डिया'', (दिनॉंक 14.1.10), ''हिंदुस्तान टाइम्स'' (दिनॉंक 14.1.10), ''दैनिक जागरण'' (दिनॉंक 13.1.10) तथा '' अमर उजाला'' (दिनॉंक 13.1.10) के समस्त उत्तर प्रदेश संस्करणों में प्रकाशित सामान्य सार्वजनिक सूचना, जो आयोग की वेबसाइट www.uperc.org पर भी अपलोड की गई थी, के अनुसरण में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने निर्धारित तिथि फरवरी 5, 2010 को सुनवायी का संचालन किया। सुनवायी में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त, आयोग ने निम्न निर्णय के साथ अपने समक्ष लंबित समस्त मामलों का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया है :–

1. उपभोक्ता विवादों से सम्बन्धित समस्त मामले, जो विद्युत अधिनियम–2003 की धारायें 42(5), 42(6), 126, 127 और 153 तथा 154 द्वारा यथाव्यवस्थित प्राधिकारियों के कार्यक्षेत्र से आच्छादित हैं और आयोग में लम्बित हैं, को अंतिमरूप से इस सूचना / आदेश के जारी होने की तिथि से , इस शर्त के साथ निस्तारित तथा बंद कर दिया गया है, कि व्यक्तिगत उपभोक्ता अपनी व्यथा निवारण हेतु विद्युत अधिनियम–2003 में व्यवस्थित सक्षम फोरम के समक्ष दर्ज कर सकते हैं।

2. शिकायतकर्ता / याची अपनी शिकायत विनियोजित फोरम के समक्ष इस सूचना के जारी होने की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर दायर कर सकते हैं और विनियोजित फोरम व्यथा का निवारण शीघ्रातिशीघ्र रूप से करते हुए अन्तिम आदेश 6 माह के अंदर पारित करेंगें।

3. यदि शिकायतकर्ता अपनी याचिका विनियोजित फोरम के समक्ष इस नोटिस के दिनॉंक से 6 सप्ताह के अंदर दायर कर देता है, तो आयोग द्वारा उस मामले में पारित अंतरिम आदेश, यदि कोई है, तो वह तब तक जारी रहेगा जब तक कि सम्बन्धित मामला विनियोजित फोरम द्वारा अंतिम रूप से निस्तारित नहीं कर दिया जाता है।

4. सीमा बंधन, यदि कोई है, तो वह लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 14 द्वारा शासित होगा और वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भ होगा।

सचिव